न्यायालय कलेक्टर जिला कबीरधाम का प्रकरण क्रमांक 21 अ-59 वर्ष 2006-07 आवेदक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कबीरधाम विरूद्ध छ.ग. शासन में पारित आदेश पत्र दिनांक 13.6.2007 की सत्यप्रतिलिपि-:ग्राम-तरेगांव जंगल

XX-(2)-A-89
Rev.-Hindi

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

न्यायालय कलेक्टर, जिला कबीरधाम (कवर्धा)

मामला क्रमांक 21 अ-59 वर्ष-2006-07

(1)	(2)	(3)
13.6.07	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी कवर्धा से प्राप्त। अवलोकन किया गया। आवेदक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कबीरधाम के द्वारा एकलव्य आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तरेगांव जंगल (वि.ख.बोड़ला) के भवन निर्माण हेतु ग्राम तरेगांव जंगल प.ह. नं.2 स्थित शासकीय भूमि ख.नं.73 का टुकड़ा8.77एकड़ मांग किये जाने पर नायब तहसीलदार बोड़ला एवम् अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कवर्धा के द्वारा अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतएव उपरोक्त अनुशंसा के आधार पर ग्राम तरेगांव जंगल प.ह.नं.2 रा.नि.मं. बोड़ला स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 73 का टुकड़ा 8.77 एकड़ को काबिल कास्त मद से पृथक करते हुए एकलव्य आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तरेगांव जंगल हेतु छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को हस्तांतरित किया जाता है। आवेदक विभाग को सूचित करें। प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु अ.वि.अ. कवर्धा को भेजा जावे। कलेक्टर कबीरधाम अ.वि.अ.(रा.) कवर्धा	

न्यायालय कलेक्टर, कबीरधाम

क्रमांक 244 /रीडर/2007 कबीरधाम दिनांक 14 /6/2007

प्रतिलिपि :- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।